ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 646 / 12-1(2) दिनांक 09 / 09 / 2020::

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल र्मिाण निगम
रुद्रप्रयाग।

विषयः— **रुद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पेयजल योजना (2.0951 है0) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्न कमियां पायी गई।

(1) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न चैक लिस्ट नहीं भरी गयी है तथा चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रपत्रों को सही क्रम में संलग्न नहीं किया गया है।

(2) परियोजना का वैकल्पिक संरेखण व चुने गये संरेखण का तुलनात्मक विवरण एवं मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

(3) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–13 बारचार्ट में क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है।

(4) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–4 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पृष्ठ संख्या–18 में 02 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्रों प्रपत्र–15 में 02 वृक्ष, प्रपत्र–15.1 में 10 वृक्ष एवं प्रपत्र–15.4 व 15.5 में कुल 12 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है, प्रपत्र–17.1 वृक्ष प्रभावित न होने संबंधी प्रमाण पत्र में आवेदित वन भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं दर्शाया गया है, जबकि फील्ड द्वारा सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पृष्ठ संख्या–19 में चयनित संरेखण वृक्ष विहीन अंकित किया गया है। कृपया अन्तर स्पष्ट करें।

(5) परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गई है।

(6) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–21 प्रभावित ग्रामों की आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्रों में मुहर सहित हस्ताक्षर नहीं है।

(7) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–23 वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्ण रुप से नहीं भरा गया है।

(8) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–26 के अनुसार परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या तथा प्रपत्र–27 के अनुसार अनुपालन करने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

(9) प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र प्रपत्र–32 प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

(10) प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–34 वन भूमि के मूल्य / वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र नहीं भरा गया है।

(11) प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.00 है0 से अधिक है, जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वन भूमि अर्थात् 2.0951 ha. X 2 = 5.902 ha. सिविल सोयम वन भूमि का राजस्व विभाग से चयन करवाकर, चयनित भूमि का डिजिटल / टोपोशीट मानचित्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

उपरोक्त कमियों को पूर्ण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। आप द्वारा प्रेषित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 02 प्रतियां मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। (प्रस्ताव की 02 प्रतियां)

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 646 / दिनांकित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।